

स्पीडपोस्ट

दिनांक:

मण्डलायुक्त,
गोरखपुर।

स्थान:

संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,
शिक्षा अनुभाग-7,
लखनऊ।

संख्या:

/सत्ताईस-43(2008-09)

दिनांक 14 जून, 2010

विषय:

प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05.06.2010 में लिये गये निर्णय की सूचना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के प्ररतर - 5 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 05.06.2010 का सम्मन्धन हुई जिसमें रिलायंस एकेडमी, राप्तीनगर, फेज-4, वेस्ट ऑफ रेल विहार, फेज-1, करीमनगर, गोरखपुर को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया।

शासनादेश संख्या: 2762/15-13-91-41461/91 दिनांक 30 नवम्बर 1991 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं निर्धारित विन्दुओं पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर की स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 22.05.2010 के आधार पर मण्डलीय समिति द्वारा रिलायंस एकेडमी, राप्तीनगर, फेज-4, वेस्ट ऑफ रेल विहार, फेज-1, करीमनगर, गोरखपुर को सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में सहर्ष सहमति प्रदान कर दी गयी है। मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 05.06.2010 का कार्यवृत्त संलग्न है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(पी०के० महान्ति)
मण्डलायुक्त।

RELIANCE ACADEMY
Muslim Girls Educational Society
Fazmaunulhane
Secretary

Fazmaunulhane
Principal
Reliance Academy
Gorakhpur

संख्या / सत्ताईस-43 (2008-2009) दिनांकित।
प्रतिनिधि निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. शिक्षा निदेशक/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद, अजमेर।
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केंद्र-2, समुदाय केंद्र, प्रति विभाग, नई दिल्ली।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सारन मण्डल, गोरखपुर।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया।
6. प्रभुलाल/प्रधानाचार्य, शिक्षा संस्थान एकेडमी, सारन मण्डल, फ्लैट 4, प्लॉट 33/1, देवरिया, गोरखपुर।

(पी०के० महान्ति)
माधुसूदन।

RELIANCE ACADEMY
Muslim Girls Educational Society
— Farmanullah Khan —
Secretary

Farmanullah Khan
Principal
Reliance Academy
Gorakhpur

रिलायंस एकेडमी राष्ट्रीयनगर फेज-4 वेस्ट आफ रेलविहार, फेज-1, करीमनगर, गोरखपुर को कौंसिल फार दि सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा अनुभाग-7 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1916/15-7-09-1(299) /2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 द्वारा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता गठित समिति की बैठक दिनांक 05.06.2010 का कार्यवाही -

शासनादेश संख्या 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के प्रसार-5 के अनुक्रम में गठित मण्डलीय समिति का उपर्युक्त विषयक बैठक दिनांक 05.06.2010 को आयुक्त की नयी निरम निम्नलिखित अधिकारियों की उपस्थिति में -

- | | |
|--|-------------|
| 1. मण्डलायुक्त, गोरखपुर | अध्यक्ष। |
| 2. जिलाधिकारी, गोरखपुर | सदस्य। |
| 3. सहायक शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर | सदस्य सचिव। |
| 4. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर | सदस्य। |

गोरखपुर मण्डल के उन्पद गोरखपुर में स्थित शिक्षण संस्था रिलायंस एकेडमी राष्ट्रीयनगर फेज-4, वेस्ट आफ रेलविहार, फेज-1, करीमनगर, गोरखपुर को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के प्रस्ताव पर मण्डलीय समिति को प्राप्त हुआ है।

शासनादेश संख्या 2762/15-13-91-41461/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 के विधिवत प्रक्रिया एवं पत्राचार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु सप्तम मण्डल द्वारा सहायक शिक्षा निदेशक सप्तम मण्डल, गोरखपुर को दिनांक 21.05.2010 को आवेदन किया गया है जिसे उक्त मण्डलीय समिति द्वारा विरस्त विचार विमर्श किया गया।

विद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की रजिस्ट्रार शिक्षा निदेशक सप्तम मण्डल, गोरखपुर द्वारा समस्त अधिकारियों को परीक्षण करण के बाद सप्तम मण्डल दिनांक 27.05.2010 को करने के बाद प्रस्ताव दिनांक 05.06.2010 को मण्डलायुक्त की वर्तमान शासनादेशानुसार विचारण को प्राप्त किया गया है।

RELIANCE ACADEMY
Muslim Girls Educational Socy.,
Jasrnamulla house
Secretary

Jasrnamulla
Principal
Reliance Academy
Gorakhpur

राष्ट्रिय शिक्षा निदेशक, रायपुर, मण्डल, गोरखपुर द्वारा दिनांक 02.06.2010 को जारी की गई आदेशानुसार आरक्षित आरक्षण में अंतर्गत किया गया है। यह आरक्षण नगर निगम गोरखपुर की सीमा में स्थित है। रिलायंस एकेडमी मुस्लिम गल्स हाई स्कूल सोसाइटी करीमनगर राप्तीनगर फेज-4, वेस्ट आफ रेलविहार कालोनी, गोरखपुर के नाम पंजीकरण प्रमाण पत्र सं० 93/2000-2001 दिनांक 02.06.2000 को पंजीकृत किया गया है। आवेदन शुल्क रु० 10,000-00 09 जून 2009 को जमा किया गया है। विद्यालय की पोस्टरभिण्डा सर्क करीमनगर, तप्पा खुटहन, परगना हवेली, तहसील सदर जिला गोरखपुर में आराजी नं० 54, 74, 78 एवं 111 में 2.03 एकड़ भूमि जो श्रीमती अंजु आरा कमी श्री फरमानुल्लाह अंसारी के नाम है से पंजीकृत लीज पर ली गयी है। विद्यालय में कुल 18 कक्षाकक्ष निर्मित हैं। विद्यालय साफ सुथरा, पानी बिजली एवं शौचालय आदि की सम्पुर्ण व्यवस्था है। विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित कुल 12 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें सी०एड०-9, एम०ए० नेट-1 एम०एस०सी० बायोटेकनॉलॉजी-1, एम०ए० अंग्रेजी-1 कार्यरत हैं। विषय-1 एवं 4 परिचारक तथा 03 बस चालक कार्यरत हैं। संस्था में 275 छात्र/छात्राएँ पंजीकृत हैं। कर्मचारियों को भुगतान देतन दिया जाता है। विगत दो वर्ष का परीक्षाफल संलग्न है। 2 वर्ष की सी०ए०रिपोर्ट पत्रावली पर है। विद्यालय में अग्निशमन यंत्र लगा है।

राष्ट्रिय शिक्षा निरीक्षण आरक्षण मण्डलीय समिति को दिनांक 02.06.2010 को विचारण हेतु समकालीन रहित प्रेषित की गयी है।

मण्डलीय समिति ने रिलायंस एकेडमी राप्तीनगर फेज-4, वेस्ट आफ रेलविहार, फेज-1, करीमनगर, गोरखपुर के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं सम्पुर्ण शिक्षा निदेशक, रायपुर मण्डल, गोरखपुर की स्थलीय जांच आरक्षण दिनांक 02.06.2010 का अभ्यर्थन एवं परीक्षण किया। शासनादेश संख्या 2762/15-13-91-41461/15 दिनांक 30 नवम्बर 1991 के निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रावधान के अनुसार सभी अभिलेख प्रस्तुत किए गये हैं। विद्यालय के नाम के पत्रावली के अनुरूप भूमि 29 वर्ष 11 माह 29 दिन के लिए पंजीकृत पर ली गयी है। भवन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ सम्पन्न हैं। क्रीडास्थल हेतु विद्यालय में पंचांग नामक के अनुसार भूमि है, जिससे क्षेत्र में इस विद्यालय का स्थापित करने का कार्य है। शिक्षा पर अच्छा ध्यान दिया गया।

RAIPUR ACADEMY
Muslim Girls Educational Acad.
Jamanullahouse
Secretary

Signature
Principal
Raipure Academy
Gorakhpur

उक्त के परिपेक्ष्य में मण्डलीय समिति रिलायंस एकेडमी राप्तीनगर फेज-4, वेस्ट आफ रेलविहार, फेज-1, करीमनगर, गोरखपुर को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सहर्ष सहमति प्रदान करती है। तदनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय तथा सभी सम्बन्धित को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

जिला शिक्षा निरीक्षक,
गोरखपुर।

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

(पी०के० महान्ति)

मण्डलायुक्त।

कार्यालय आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

संख्या /राप्ताईस-43 (2008-2009) दिनांक 24.05.2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।
3. सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केंद्र-2, समुदाय केंद्र प्रीति विहार, नई दिल्ली।
4. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।
7. प्रबन्धक, रिलायंस एकेडमी राप्तीनगर फेज-4, वेस्ट आफ रेलविहार, फेज-1, करीमनगर, गोरखपुर।

(पी०के० महान्ति)

मण्डलायुक्त।

RELIANCE ACADEMY
Muslim Girls Educational Society

Farmanullah Khan
Secretary

Rahmed
Principal
Reliance Academy
Gorakhpur